

FORM No. III

फर्द अहकाम

( नियम 26 )

A3

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़  
श्रीमती जगनत कौर बनाम राधु  
 किस्म मुकद्दमा प्राथमिक नं. 67 सन् 2023

| तारीख हुक्म                     | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---------------------------------|--|---|
| 13 <sup>6</sup> / <sub>23</sub> | <p>इच्छिवत प्रार्थी उपरोक्त प्रार्थी ने ग्राम चौकपुरा पंच. बेमालिया तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित आराजी खंजा 82 रकबा 1.2000 हे. की पत्थरगढी कराये जाके हेतु आवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के नाम स्वतन्त्र हक ले दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी का प्राथमिक पत्र लीकिया किया जाकर ग्राम चौकपुरा पंच. बेमालिया तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित आराजी खंजा 82 रकबा 1.2000 हे. की बिना किसी के कहने से दरख्तानदी फिएर सेरलमेन्ट नम्बरे अगुफा पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। शुल्क 1000/- एक हजार प्रार्थी को करनी। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखत जाके पालन रिपोर्ट प्राप्त हो। फावते जैसा शुम्भ होकर नम्बर में पास है।</p> <p style="text-align: center;"> <u>13/1/23</u><br/> <b>(रामचन्द्र खटीक)</b><br/>                     सहायक फलेक्टर एवं<br/>                     उपखण्ड अधिकारी<br/>                     चित्तौड़गढ़                 </p> |   |